



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102023-249635
CG-DL-E-23102023-249635

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4447]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 20, 2023/आश्विन 28, 1945

No. 4447]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023/ASVINA 28, 1945

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4626(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित प्राधिकारियों को टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा कलामंग से रूगुडीह तक आयरन ओर स्लरी पाइपलाइन बिछाने के लिए उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी

क्रम.सं.	प्राधिकारी	क्षेत्रीय अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	तहसीलदार, कोईरा	जिला सुंदरगढ़, ओडिशा
2.	उप समाहर्ता कलेक्टर, कोणार्क,	जिला क्योंझर, क्योंझर ओडिशा

[सं. 20(1) 2023-आरएम]

अभिजीत नरेन्द्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th October, 2023

S.O. 4626(E).—(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorises the authorities mentioned in column (2) of the Table below, to perform the functions of the competent authority under the said Act for laying Iron Ore Slurry Pipeline from Kalamang to Rugudih by TATA Steel Ltd., in the area specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Serial No.	Authority	Territorial jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Tahasildar, Koira	District Sundargarh, Odisha
2.	Deputy Collector, Collectorate, Keonjhar	District Keonjhar Odisha

[No. 20(1)2023-RM]

ABHIJIT NARENDRA, Jt. Secy.